उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F 22/32 सी–१/एन/एन.ओ.सी.–८८३/२०१३ दिनांक 11-4-13

सेवा में,

मे0
यूनिटेक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट,
जीएच–०१/सी, सेक्टर–११३, नोएडा,
गौतमबुद्धनगर

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/ ~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण~~ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक.................................... का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : **प्लाट नं.–जीएच–०१/सी, सेक्टर–११३, नोएडा, गौतमबुद्धनगर**

(ख) उत्पादन : **प्रस्तावित–२१६६४४ वर्गमी० भूमि क्षेत्रफल बिल्टअप एरिया ४२८५६५ वर्गमी० पर आवासीय कालोनी, कामर्शियल सुविधा, क्लब आदि का निर्माण।**

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक .... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र : **जी.बी.नगर**
2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : **नोएडा**
4.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल– १)

(ग) मुख्य कच्चे माल :..

बिल्डिंग मैटेरियल

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :..

शून्य

(ड.) प्रयुक्त ईधन :..

५०० केवीए के ०८ डी.जी. सेट एवं १५० केवीए के १३ डी.जी. सेट

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा .... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक .... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७. मै. यूनिटेक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्लाट नं.-जीएच-०१/सी, सेक्टर-११३, नोएडा द्वारा प्रस्तावित २१६६४४ वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्टअप एरिया क्षेत्रफल ४२८५६५ वर्ग मीटर पर आवासीय कालोनी, कामर्शियल सुविधा, क्लब आदि का निर्माण किया जायें।

८. संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार १२१९ के०एल०डी० उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु ०४ एस.टी.पी. कुल क्षमता १४७० के.एल.डी. क्षमता एस.टी.पी. स्थापित करें। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई, ए.सी., डी.जी. कूलिंग टावर मेकप के रूप में तथा फ्लसिंग हेतु प्रयोग किया जायें।

९. संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी.जी. सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु विद्युत मीटर स्थापित करें।

१०. सालिड मैनेजमेंट एम.एस.डब्ल्यू. रूल्स-२००० के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।

११. समस्त प्रस्तावित डी.जी.सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रस्तावानुसार चिमनी भी स्थापित की जायें।

१२. संस्था द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित किया जायें।

१३. संस्था द्वारा नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित किया जायें।

द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार / स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीरेन्स प्राप्त किया जायें।

१५. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।

१६. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा० न्यायलयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।

१७. उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिवोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नही डाला जायेगा।

१८. संस्था को निर्गत बैक गारण्टी पंत्रांक एफ २०१६९/सी-१/एन/एन.ओ.सी./८८३/२०१३, दिनांक १४.३.१३ का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।